तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही
06/9/21	आज यह प्रार्थना पत्र पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी, उपस्थित अप्रार्थी विपक्ष/डिक्रीदार विपक्ष (सम्मन) के अनुपस्थित रही। इनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही आगामी लाई जाती है। वकील प्रार्थी ने प्रकरण के निस्तारित कर दिये जाने का निवेदन किया। शुरू में प्रकरण कराये जाने पत्रावली का निवेदन किया गया है। प्रार्थना-पत्र के बाबत वकील प्रार्थी की बहस सुनी गई। दोनों बहस वकील प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के बिन्दुओं को दोहराते हुए सीमांकन/मौका पर्चा दिनांक 09/7/21 अनुसार कराये जाने पत्रावली का निवेदन रखा। वकील प्रार्थी की ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई एवं पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किये जाने उपरान्त यह न्यायालय प्रार्थी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है। आदेश अतः उपलब्ध विवेचन के आधार पर प्रार्थी के आ०व०नं० 986 वाके ग्राम आनन्दपुर तहसील नीमराना जिला अलवर (राज०) के कराये जाने पत्रावली प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राज० काश्त० अधिनियम का स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में स्वीकार किया जाता है एवम् पत्रावली में प्रस्तुत सीमांकन/मौका पर्चा दिनांक 09/7/21 अनुसार कराये जाने पत्रावली तहसीलदार नीमराना को अहकाम जारी हो। [illegible] पालना रिपोर्ट शामिल पत्रावली हो। [illegible] तहसील कार्यालय जिला [illegible] लगाया हो। [illegible] तहसीलदार नीमराना (अलवर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Mukut Singh
Date: 2022.10.28 10:43:41 IST
Reason: SelfAttested